उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. RAJAYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
(A U.P. GOVERNMENT UNDERTAKING)
8th Floor, Shakti Bhawan Extn, Lucknow.
Phone No.0522-2287838, Fax No.0522-2287191
UPRVUNL

पत्रांक 319/उ0नि0लि0/मु0म0प्र0(वित्त) दिनांकः 03अगस्त, 2010

कार्यालय ज्ञाप

परियोजनाओं द्वारा इकाईयों की ओवरहॉलिंग के सम्बन्ध में निधि माँग कई भागों में प्रस्तुत की जाती हैं जिससे इसके सम्यक् परीक्षण में कठिनाई अनुभव होती है। अतएव इकाईयों की ओवरहॉलिंग के सम्बन्ध में मुख्यालय को निधि मांग प्रेषित किये जाने हेतु निम्न प्रकिया तत्काल प्रभाव से आदेशित की जाती है :–

1. इकाई की ओवरहॉलिंग हेतु निधि मांग ओवरहॉलिंग की निर्धारित तिथि से एक माह पूर्व एक साथ मुख्यालय को प्रेषित की जाये।

2. निधि मांग के साथ कार्य एवं सामग्री हेतु सूची अलग–अलग संलग्न की जायेगी तथा सूची में आदेश संख्या, फर्म का नाम, कार्य/सामग्री का विवरण, सामग्री की मात्रा, धनराशि आदि का पूर्ण विवरण दिया जायेगा। सामग्री की निधि मांग आवश्यकता की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुये सूची प्राथमिकता कम में प्रस्तुत की जायेगी।

3. इकाई की ओवरहॉलिंग से सम्बन्धित कार्य एव कय आदेशों में स्पष्टतः इंगित किया जायेगा कि आदेश किस इकाई की ओवरहॉलिंग से सम्बन्धित है। यदि ओ0एण्डएम0 के किसी कार्य/कय आदेश की ओवरहॉलिंग में प्रयुक्त किया जाना है तो इसके लिये कार्य/कय आदेश में संशोधन आदेश निर्गत किया जायेगा कि कितना कार्य/कय किस इकाई की ओवरहॉलिंग में प्रयोज्य है।

4. इकाई की ओवरहॉलिंग हेतु निर्गत धनराशि का प्रयोग ओवरहॉलिंग मद में ही किया जायेगा तथा निधि विचलन अनुमन्य नहीं होगा। निधि विचलन एक वित्तीय अनियमितता होगी।

5. निर्गत धनराशि का उपभोग विवरण, भुगतान विवरण यथा चेक सं0, दिनांक के साथ एक सप्ताह में प्रस्तुत किया जायेगा।

6. इकाई की ओवरहॉलिंग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्राक्कलन (इस्टीमेट) स्वीकृत किया जायेगा।

7. ओवरहॉलिंग कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 'As Executive' आकलन तैयार किया जायेगा तथा कार्य की कम्पलीशन रिपोर्ट परियोजना प्रमुख से अनुमोदित कराते हुये इसकी प्रति निदेशक (तकनीकी)/निदेशक (वित्त)/अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को प्रस्तुत की जायेगी।

इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

CF JULY-10

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. RAJAYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
(A U.P. GOVERNMENT UNDERTAKING)
8th Floor, Shakti Bhawan Extn, Lucknow.
Phone No.0522-2287838, Fax No.0522-2287191

पत्रांक 319/उ0नि0लि0/मु0म0प्र0(वित्त) तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के स्टाफ अधिकारी, उ0नि0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वित्त)/निदेशक (तकनीकी) के स्टाफ अधिकारी, उ0नि0लि0, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता, पीपीएमएम/तापीय परिचालन/ईधन/वाणिज्य/जानपद/पर्यावरण एवं सुरक्षा/ आर0एण्ड एम0/मानव संसाधन, उ0नि0लि0, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (स्तर I/II), अनपरा/ ओबरा/ पारीक्षा/ पनकी/हरदुआगंज तापीय परियोजना, उ0नि0लि0, अनपरा/ओबरा (सोनभद्र)/पारीछा (झॉसी)/पनकी (कानपुर)/कासिमपुर (अलीगढ़)।
5. महाप्रबन्धक (लेखा), उ0नि0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. उप महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)/उप मुख्यलेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी, अनपरा/ ओबरा/ पारीक्षा/ पनकी/हरदुआगंज तापीय परियोजना, उ0नि0लि0, अनपरा/ओबरा (सोनभद्र)/पारीछा (झॉसी)/पनकी (कानपुर)/कासिमपुर (अलीगढ़)।
7. मुख्य प्रबन्धक (कैश प्रबन्धन इकाई), उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(ए0 के0 अग्रवाल)
मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)

CF-JULY-10